



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082025-265244
CG-DL-E-06082025-265244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3498]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947

No. 3498]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

का.आ. 3584(अ).— यतः, व्यापार और वाणिज्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में बालिनॉंग, चांगलांग जिला में बहु-क्षेत्र की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उनको उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अंतर्गत दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त स्थान के 30.20 हेक्टेयर को अधिसूचित करती है। भूमि का टुकड़ा भूकर क्षेत्र में नहीं है, इसलिए भौगोलिक निर्देशांकों के साथ-साथ अन्य विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका

बिंदु	अक्षांश	देशान्तर	स्टेशन	दिशा	दूरी (मीटर में)
ए	27.454340	95.969300	ए - बी	63°	79.4
बी	27.454660	95.970020	बी - सी	76°	32.5
सी	27.454730	95.970340	सी - डी	117°	26.6
डी	27.454620	95.970580	डी - ई	133°	115.1
ई	27.453910	95.971430	ई - एफ	231°	35.4
एफ	27.453710	95.971150	एफ - जी	169°	30.6
जी	27.453440	95.971210	जी - एच	151°	118.6
एच	27.452510	95.971800	एच - आई	123°	91.7
आई	27.452060	95.972580	आई - जे	115°	104.6
जे	27.451660	95.973540	जे - के	121°	131.3
के	27.451050	95.974680	के - एल	94°	113.7
एल	27.450970	95.975830	एल - एम	37°	113.4
एम	27.451780	95.976530	एम - एन	62°	178.4
एन	27.452530	95.978130	एन - ओ	169°	378.4
ओ	27.449110	95.978890	ओ - पी	257°	258.7
पी	27.448600	95.976330	पी - क्यू	277°	310.1
क्यू	27.448950	95.973210	क्यू - आर	260°	183.3
आर	27.448660	95.971380	आर - ए	234°	680.2

अतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्-

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. के -43016(11)/2/2022-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(SEZ DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2025

S.O. 3584(E).— Whereas, Department of Trade & Commerce, Government of Arunachal Pradesh, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Multi-Sector SEZ at Balinong, Changlang District, in the State of Arunachal Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above Special Economic Zone on 23rd September, 2022;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the 30.20 hectares. The land parcel is not in a cadastral area, hence, the details of geographical co-ordinates along with other details are given below in the table:

TABLE

Point	Latitude	Longitude	Station	Bearing	Distance (in Meters)
A	27.454340	95.969300	A-B	63°	79.4
B	27.454660	95.970020	B-C	76°	32.5
C	27.454730	95.970340	C-D	117°	26.6
D	27.454620	95.970580	D-E	133°	115.1
E	27.453910	95.971430	E-F	231°	35.4
F	27.453710	95.971150	F-G	169°	30.6
G	27.453440	95.971210	G-H	151°	118.6
H	27.452510	95.971800	H-I	123°	91.7
I	27.452060	95.972580	I-J	115°	104.6
J	27.451660	95.973540	J-K	121°	131.3
K	27.451050	95.974680	K-L	94°	113.7
L	27.450970	95.975830	L-M	37°	113.4
M	27.451780	95.976530	M-N	62°	178.4
N	27.452530	95.978130	N-O	169°	378.4
O	27.449110	95.978890	O-P	257°	258.7
P	27.448600	95.976330	P-Q	277°	310.1
Q	27.448950	95.973210	Q-R	260°	183.3
R	27.448660	95.971380	R-A	234°	680.2

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely: -

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson <i>ex officio</i> ;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	Member <i>ex officio</i> ;

3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	Member <i>ex officio</i> ;
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member <i>ex officio</i> ;
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member <i>ex officio</i> ;
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member <i>ex officio</i> ;
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government	Member <i>ex officio</i> ;
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 30th July, 2025 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. K-43016(11)/2/2022-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.